भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **4223**
दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उरवाकुल विमानपत्तन से उड़ानों का प्रचालन

4223. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले के उरवाकुल विमानपत्तन से उड़ानों की मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो यह अनुमति कब तक प्रदान की जानी है; और

(ग) क्या सरकार के पास दिल्ली से कुर्नूल हेतु उड़ान शुरू करने के संबंध में कोई समय-सूची है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के ओरवाकल में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) को 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदन दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं ही हवाईअड्डे का निर्माण करवाया है एवं परीक्षण अवतरण जनवरी, 2019 को पूरा कर लिया गया था। तथापि, कोई अनुसूचित घरेलू एयरलाइन ने ओरवाकल हवाईअड्डे से/तक प्रचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपनी योजना फाइल नहीं की है।

(ग): मार्च 1994 में विमान निगम अधिनियम के निरसन के साथ भारतीय अंतर्देशीय विमानन क्षेत्र अविनियमित हो गया था। एयरलाइनें किसी भी विमान प्रकार के साथ क्षमता संवर्धन, तथा सेवा प्रदान करने व प्रचालन के लिए किसी भी बाजार व नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संदर्भ में, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

*****